न्यायालय—पूजित कमल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तेंदूखेड़ा जिला दमोह (म.प्र.)

Ragistration No.RCT/488/2022
Filing Date 09-11-2022

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—तारादेही
जिला दमोह म.प्र.

..........................**अभियोजन**

बनाम

संतोष पिता शिवचरण पटैल उम्र 42 वर्ष
निवासी—ग्राम सारसबगली थाना तारादेही जिला दमोह म.प्र.

..........................**अभियुक्त**

14.09.2024 प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में **खण्डपीठ कमांक 22** में पेश।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री राकेश सिंह ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदक सुदामा पटैल की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 320(1)(2) द.प्र.सं. पर विचार हेतु नियत है।

आवेदक की ओर से राजीनामा आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 320(1)(2) द.प्र.सं. के तहत् प्रस्तुत कर अभियुक्त से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत् निवेदन किया गया है।

अभियुक्त पर धारा 294, 341, 506 भाग—दो भा.दं.सं. का आरोप है। धारा 320 द.प्र.सं. के अनुसार धारा 294, 341, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अपराध के शमन हेतु कमशः वह व्यक्ति शमन हेतु सक्षम होता है जिसको अश्लील शब्द उच्चारित किया गया हो, जिसे उस दिशा में जाने से रोका गया हो जहां उसे जाने का अधिकार था एवं संत्रास कारित किया गया हो। अतः आवेदक/फरियादी उक्त अपराध का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार हैं।

दं.प्र.सं. 1973 की धारा 320 की उप—धारा 1 के तहत भा.दं.सं. की धारा 341 का अपराध न्यायालय की अनुमति के बिना फरियादी/आहत स्वयं राजीनामा करने में सक्षम है।

दं.प्र.सं. 1973 की धारा 320 की उप–धारा 2 के तहत भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग–2 का अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा करने योग्य है।

आवेदक/आहत के द्वारा राजीनामा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। आवेदक/आहत ने आवेदन पत्र में अभियुक्त के प्रति कटुता समाप्त होना और उसके साथ मधुर संबंध स्थापित होना व्यक्त करते हुए बताया है कि उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की पहचान उनके आधार कार्ड के माध्यम से की गयी। आधार कार्ड की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न की गयी तथा मूल प्रति वापिस प्रदान की गयी।

आवेदक/आहत की ओर से फोटो युक्त हस्ताक्षरित शमन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त पर पूर्व दोषसिद्धी के संबंध में अभिलेख पर कोई भी तथ्य विद्यमान नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक/आहत को राजीनामा की अनुमति प्रदान करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित भा0द0सं0 की धारा 294, 341, 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त **संतोष पिता शिवचरण पटैल उम्र 42 वर्ष निवासी–ग्राम सारसबगली थाना तारादेही जिला दमोह म.प्र.** को भा0दं0सं0 की धारा 294, 341, 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में कोई संपत्ति जप्त नही।

अभियुक्त के जमानत/मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त विचारण दौरान निरोध अवधि में रहा हों तो पृथक से 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जाये।

(पूजित कमल)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ कमांक – 22

हस्ताक्षर ....
श्री. राकेश शर्मा,
सुलहकर्ता सदस्य

PUJIT KAMAL
Digitally signed by PUJIT KAMAL
Date: 2024.09.14 17:51:35 +0530